भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3320

सोमबार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ई-श्रम पोर्टल

3320. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या संबंधी कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-श्रम पोर्टल पर आज तक पंजीकृत अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ई-श्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में भाषा और तकनीकी बाधाओं के संदर्भ में श्रमिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से अवगत है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना संपूर्ण देश में अनौपचारिक श्रमिकों के लिए पोर्टल को और अधिक सुलभ बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की है; और

(च) क्या सरकार ने श्रमिकों को प्लेटफॉर्म/पोर्टल पर पंजीकरण करने में सहायता करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों में अधिकारियों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उन्हें पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करता है। दिनांक 9 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, 30.45 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

जारी..2/-

ईश्रम पंजीकरण पोर्टल कई भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने जागरूकता बढ़ाने और ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण में तेजी लाने के लिए पंजीकरण शिविर और जागरूकता अभियान जैसे कदम उठाए हैं। ये शिविर मंत्रालय द्वारा सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) के समन्वय से समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। ईश्रम पर पंजीकरण करने के लिए कामगारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया अभियानों का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के असिस्टिड मोड पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) को ऑन-बोर्ड किया गया था। कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाने और उनके मोबाइल फोन पर आसानी से पंजीकरण/अपडेट की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-श्रम को यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग ऐप) पर ऑन-बोर्ड किया गया है।

*   *****

अनुबंध

"ई-श्रम पोर्टल" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3320 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(i) दिनांक 09.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पंजीकरण
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32,330
2	आंध्र प्रदेश	81,31,892
3	अरुणाचल प्रदेश	1,97,887
4	असम	75,72,428
5	बिहार	2,95,72,870
6	चंडीगढ़	1,85,017
7	छत्तीसगढ	85,24,479
8	दिल्ली	34,57,018
9	गोवा	75,479
10	गुजरात	1,18,78,665
11	हरियाणा	53,51,389
12	हिमाचल प्रदेश	19,81,879
13	जम्मू और कश्मीर	35,31,501
14	झारखंड	95,99,240
15	कर्नाटक	1,03,36,899
16	केरल	60,05,225
17	लद्दाख	33,393
18	लक्षद्वीप	2,792
19	मध्य प्रदेश	1,84,21,762
20	महाराष्ट्र	1,73,05,458
21	मणिपुर	4,51,694
22	मेघालय	3,25,860
23	मिजोरम	64,942
24	नागालैंड	2,31,526
25	ओडिशा	1,35,32,618
26	पुदुचेरी	1,89,258
27	पंजाब	57,67,014
28	राजस्थान	1,42,63,016
29	सिक्किम	42,110
30	तमिलनाडु	88,92,235
31	तेलंगाना	44,47,080
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	74,343
33	त्रिपुरा	8,84,652
34	उत्तर प्रदेश	8,37,37,987
35	उत्तराखंड	30,53,939
36	पश्चिम बंगाल	2,64,02,829
	कुल	30,45,58,706

*****